Tribunal and Labour Court and Establishment of Tribunal since 1977 and many cases of dismissals and non-employment are to be decided quickly to give relief to the victimised workers. The Presiding Officer of the Calcutta Tribunal has retired on the 31st December, 1979 and since then the post is lying vacant. In 1979 the Coal Mines Employees' Union requested the Central Government to establish a Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Asansol area and the Government gave due consideration in this regard. The Calcutta Tribunal-cum-Labour Court is overburdened with pending cases and no speedy decision is coming on the cases, as a result workers are very much suffering.

Under the circumstances, I urge upon the government that the vacant post of the Presiding Officer at Calcutta may be filled up immediately and also certain cases may be referred to the Dhanbad Tribunal which is nearer to the Coalfields of Eastern Coalfields and less expensive than the Calcutta office and Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at Asansol.

(vi) MEASURES TO PROVIDE NECESSARY FACILITIES FOR PLANTATION OF PADDY IN DROUGHT AFFECTED AREAS OF BIHAR.

श्री कुमरलाल बैठा (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उपस्थित करते हुए मुझे निवेदन करना है कि बिहार के काफी हिस्सों में, खासकर पूर्णिया जिले के नेपाल सीमा स्थित भाग में, सूखे के कारण धान को रोपने का कार्य एकदम ठप्प हो गया है । किसानों की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो गई है । उन्हें पटवन के लिए न तो बिजली की आपूर्ति की जाती है और न नहरों के द्वारा ही पटवन का प्रबन्ध है । जहां भी नहर द्वारा पटवन हो सकता है, वहां भी नहर को बन्द कर पटवन रोक दिया गया है । नहर अधिकारियों से नहर का पानी पटवन हेतु देने का अनुरोध करने पर उनका कहना है कि चूंकि अभी पानी में प्रति-क्यूसेक लगभग 35 प्रतिशत सिल्ट है, अतः जब तक यह सिल्ट बैठ नहीं जाता, नहर द्वारा पटवन नहीं किया जा सकता । सिल्ट छंट कर स्वच्छ पानी देने का कोई निश्चित समय वे नहीं बतलाते । बल्कि उनका कहना है कि यदि कोसी नदी के उद्गम एवं ऊपर के भागों में पुनः बाढ़ आई, तो पटवन आरम्भ करने की अवधि में और भी विलम्ब होगा । लोगों के धान के बिचड़े खेतों में सूख रहे हैं । अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों के धान एवं अन्य फसलों के लिए बिचड़े उगाहने, उखाड़ने एवं खेतों में पुनः रोपनी को निर्धारित अवधि के भीतर ही होना चाहिए, अन्यथा फसल का उत्पादन लाभप्रद नहीं रहता है । अतः ऐसी परिस्थिति में किसानों को, खासकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों को, भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ेगा एवं राष्ट्रीय पैमाने पर उत्पादन को व्यापक क्षति होगी ।

अतः सरकार से अनुरोध है कि सरकार (1) कोसी एवं अन्य नहरों द्वारा, जहां अभी भी पटवन आरम्भ नहीं किया गया है, तुरन्त पटवन आरम्भ करने का आदेश दे, (2) उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर कृषि-कार्य में लगे नलकूपों में बिजली की आपूर्ति का अविलम्ब प्रबन्ध करे, (3) डीजल इंजिनों की यथाशीघ्र व्यवस्था कर किसानों को मुहैया कराये एवं उसके लिए डीजल, मोबिल आयल आदि की आपूर्ति की भी व्यवस्था करे, और (4) सरकारी विभागों द्वारा भी छोटे एवं सीमान्त किसानों के खेतों में डीजल इंजिनों द्वारा पटवन का प्रबन्ध किया जाय, ताकि उत्पादन की व्यापक राष्ट्रीय क्षति से देश को बचाया जा सके ।

इसमें अविलम्ब व्यवस्था की आवश्यकता है । अतः सिंचाई विभाग स्वयं एवं राज्य सरकार को आदेश देकर इसकी शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करे ।

12.54 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL COMPANY LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE, AND .... NATIONAL COMPANY LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL,

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up the statutory resolution to be moved by Shri T. R. Shamanna. We are taking up items 10 and 11 together.